

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या—२५८ / २०१९

अब्दुल हकीम

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची
3. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची
4. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, झारखण्ड सरकार, कचहरी रोड, राँची
5. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रभाग, हुसैनाबाद, पलामू ..... विपक्षी गण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन  
वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता(एस) के लिए : श्री रंजन कुमार सिंह, अधिवक्ता

ओ०पी० संख्या ५ के लिए : श्री कुणाल चंद्र सुमन, एस०सी०—I के ए०सी०

०३ / ०१.१०.२०२१

अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण याचिकाकर्ता के वकील ने डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०—२९०९/२०१७ में कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर नहीं किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त मामले में पारित दिनांक ०४.०२.२०१९ के आदेश के द्वारा रिट आवेदन खारिज हो गया। वह आगे निवेदन करते हैं कि जैसे ही इस रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जाएगा, वह त्रुटियों को दूर कर देगा।

पूर्वोक्त सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, सी०एम०पी० सं०—२५८/२०१९ की अनुमति दी जाती है।

तदनुसार, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-२९०९ / २०१७ को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया गया है।

(आनंदा सेन, न्याया०)